मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 28, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 81 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 86 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने श्योपुर थाना को मुरैना में स्थानान्तरण किये जाने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने जौरा नगर वासियों द्वारा दूषित पेयजल का उपयोग करने से उत्तपन्न स्थिति,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश के भिण्ड, मुरैना,गुना एवं भोपाल नगर में दूषित पानी से संक्रामक बीमारियां फैलने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास द्वारा संचालित अस्पतालों में दवाओं का अभाव होने.

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिला शिक्षा समन्वय द्वारा स्कूल भवन हेतु स्वीकृत राशि में अनियमितता होने,

(6) श्री रामदास उइके, सदस्य ने जामई क्षेत्र के ग्राम पंचायत महेरा एवं नरसता में स्वीकृत पंचायत भवन का निर्माण न किये जाने,

(7) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने सतना जिले के विकास खण्ड मैहर स्थित गांव कोयलारी डूब से प्रभावित गांव एवं विद्यालय भवन के अभाव में अध्ययन से छात्र वंचित होने,

(8) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल के जहांगीराबाद कब्रिस्तान से जेल रोड तक पंहुच मार्ग चौड़ीकरण के दौरान लाईट के खंभे बीच सड़क पर होने से दुर्घटनाएं होने, तथा

(9) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने विदिशा जिले के ग्राम पंचायत इमलानी एवं विसेपुर में गरीबी हटाओ के तहत लोगों को लाभांवित न किये जाने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2004-2005,

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005,
पटल पर रखे।

4. वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए फसल बीमा योजना के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में चिकनगुनिया की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा "प्रदेश के अनेक जिलों में चिकनगुनिया की बीमारी फैलने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के केसला विकासखण्ड अंतर्गत सूखा राहत मद का गेहूं ग्राम पंचायतों को वितरण न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुधवार,दिनांक 19 जुलाई, 2006 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित करने की सिफारिश की है -

क्र.	शासकीय/अन्य कार्य	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006)	30 मिनिट
3.	प्रदेश में वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से काबिजों को बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे,डॉ. गोविन्द सिंह,श्रीमती सरोज बच्चन नायक,सदस्य की सूचना.	1 घन्टा 30 मिनिट
4.	प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 142-क के अधीन श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की सूचना.	45 मिनिट
5.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002,2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा.	2 घन्टे
6.	मध्यप्रदेश अघोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं पर चर्चा.	2 घन्टे
7.	मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पर चर्चा.	2 घन्टे
8.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोकआयुक्त का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, लोकायुक्त संगठन का तईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा.	2 घन्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा कि लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हे सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(12.58 बजे से 2.37 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

8. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवे प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री दुलीचंद उरैती, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2006 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प
शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2006

निर्धारित समय

1. (क्रमांक-4,6)	सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, उमाशंकर गुप्ता	00.45 मिनट
1. (क्रमांक-13)	श्री शिवराज शाह	00.30 मिनट
1. (क्रमांक-21)	श्री दुर्गालाल विजय	00.30 मिनट
1. (क्रमांक-36)	श्रीमती सुधा जैन	00.45 मिनट

श्री दुलीचंद उरैती, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(2) डॉ. सुनीलम्

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री दुलीचन्द उरेती
(4) डॉ. सुनीलम्
(5) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री रामनिवास रावत
(8) डॉ. नारायण परमार
(9) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(10) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) पारित करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

4 बजकर 03 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 29, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.